न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 101/2018 राजस्व अपील

1. प्रभू पुत्र धन्ना जाति माली निवासी मोहचिंगपुरा उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा राज.

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 24.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम प्रभू, प्रकरण संख्या 141/2018 अन्तर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवन्यू एक्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :- दिनांकः 08.05.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मोहचिंगपुरा द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट नें संवत 2075 में ग्राम मोहचिंगपुरा में स्थित आराजी भूमि खसरा नं0. 509 रकबा 0.30 है0 किस्म बंजड (सिवायचक) पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 24.08.2018 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 24.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट को कोई कब्जा नही है इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा झूठी मौका रिपोर्ट पेश कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन नही करते हुए यह प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात (शपथ पत्र कब्जा काश्त नही होने का) अवलोकन नही करते हुए निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि के

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सिकराय के यहां खातेदारी की उद्‌घोषणा कराने के सम्बन्ध मे वाद पेश कर रखा है जो लम्बित है। जिसके सम्बन्ध में उप तहसीलदार बहरावण्डा को अपीलान्ट द्वारा सूचित कर दिया गया था इसके बावजूद भी निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 24.08.2018 को निरस्त फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट नें संवत 2075 में ग्राम मोहचिंगपुरा में स्थित आराजी भूमि खसरा नं0. 509 रकबा 0.30 है0 किस्म बंजड (सिवायचक) पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 24.08.2018 को बेदखल कर 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से अपीलान्ट द्वारा कब्जा काश्त नही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने एवं प्रश्नगत भूमि की खातेदारी की उद्‌घोषणा बाबत न्यायालय उपखण्ड सिकराय मे वाद विचाराधीन होने सम्बन्धित कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही होने से अधिवक्ता अपीलान्ट के उक्त कथन की पुष्टि भी नही होती है। एक ओर अपीलान्ट द्वारा अपील में प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त नही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना व्यक्त किया है। दूसरी ओर प्रश्नगत भूमि की खातेदारी की उद्‌घोषणा कराये जाने का तथ्य प्रकट किया है जो की विरोधाभाषी तथ्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट का बेदखली नामा एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट भी संलग्न है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यो को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुकदमा नम्बर 141 / 2018 उनवानी सरकार बनाम प्रभू मे उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2018 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की प्रत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official